GOVERNMENT OF BIHAR

FACTORY INSPECTION DEPARTMENT

(DEPARTMENT OF LABOUR AND EMPLOYMENT)

LICENCE

Under Rules 4 to 10 of the Bihar Factories Rules, 1950 and Section 6(1) (d) of the Factories Act, 1948.

Registration no. 3313/BR/CHW. Fees Rs. 47750

Granted/Renewed for the calendar year 2015 - 2019

Name of Factory M/S STEEL PROCESSING UNIT (SPU)

Address and location AT- KUMARBAG, BETTIAH

WEST CHAMPARAN (BIHAR)

Name(s) of Occupier(s) SRI RABINDRA SHUKLA (DGM)

Maximum number of workers permitted to be employed on anyone day 200 (TWO HUNDRED)

Total installed capacity (not exceeding)—

(a) In Horse Power [other than (b)] 3618 HP

(b) In case of Electricity Generating, Transforming and Transmitting Station KWs —

MOTIHARI

~~Ranchi~~:

31.3.2015

~~Chief~~ Inspector of Factories,
~~Bihar~~.,

Dated ....198 .

NOTE—This licence will expire on the 31st day of December, ~~198~~ 2019

BSPR (Fact.) 14—30,000—12-11-1981—K.N.S.

कार्यालय, कारखाना निरीक्षक, मोतिहारी अचंल मोतिहारी।

पत्रांक :– 85.

प्रेषक,

चंदन कुमार,
कारखाना निारीक्षक,
मोतीहारी अचंल मोतीहारी।

सेवा में,

प्रबंधक / दखलकार,
मेसर्स स्टील प्रोसेंसिग यूनिट, बेतिया,
मो0– कुमार बाग, बेतिया, पो0– कुडवा भतियॉ,
जिला– पश्चिमी चम्पारण, बिहार, 845450

मोतिहारी, दिनांक 17-03-2017

विषय:– ला0 नं0– 3313 / BR/CHW को लाइसेंस संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि आपके कारखाना का ला0 नं0–3313 / BR/ CHW को मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार,पटना का पत्रांक 154 दिनांक 28.03.2016 के द्वारा अधिकतम श्रमिक 200 नियोजित करने तथा स्थापित श्रमता 3618 अश्वशक्ति के साथ D G M श्री रविन्द्र शुक्ला के नाम से लाइसेंस संशोधित करने की अनुमति प्राप्त हुआ। इस कार्यालय का पत्रांक 35 दिनांक 31.03. 2016 के द्वारा वर्ष 2015 से 2019 तक का संशोधित लाइसेंस नवीकरण कर निर्गत किया गया है।

आपके द्वारा समर्पित कारखाना का डाटा कलेक्शन का फार्म में Maximum number of workers– 200, Power Details of total amount of powers- 8000 KW, Power Details of Motor – 10188 HP, Power Details of Transmitting – 15000 KVA DG SET , Power Details of Transformer – 5000 KVA AND 1500 KVA Transformer AND Maximum amount of power proposed to be used 7600 KW अंकित किया गया है। और दखलकार Sri Biswanath Mukhopadhay का नाम अंकित है। इस कार्यालय में पोषित अभिलेख से विदित होता है कि आपके कारखाना में परिवर्तन किया गया है इसलिए लाइसेंस संशोधन की आवश्यकता है।

अतः आपको निदेश है कि लाइसेंस संशोधन हेतु शुल्क,संशोधन शुल्क, फार्म नं–2 एवं दखलकार नियुक्ति से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र के साथ ऑन लाईन आवेदन करना सूनिश्चित करे, ताकि आपके लाइसेंस संशोधन हेतु मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना से अनुमति प्राप्त कर संशोधित लाइसेंस निर्गत किया जा सकें।

विश्वासभाजन,
Chandan Kumar, 17/3/17.
कारखाना निरीक्षक,
मोतिहारी अचंल मोतिहारी।

Website – www.bihar.gov.in

कार्यालय, कारखाना निरीक्षक, मोतिहारी अचंल मोतिहारी।

पत्रांक :- 35

प्रेषक,

श्री शुभेश्वर कुमार,
कारखाना निारीक्षक,
मोतीहारी अचंल मोतीहारी।

सेवा में,

प्रबंधक / दखलकार,
मेसर्स स्टील प्रोसेसिंग युनिट (बेतिया)
ग्रा० कुमारबाग, बेतिया, पो -कुंडवा
पश्चिमी चम्पारण बिहार - 845450

मोतिहारी,दिनांक 31. 03. 2016

महाशय,

इस पत्र के साथ आपके कारखाने का लाइसेंस नवीकरण कर भेजा जा रहा है। लाइसेंस में वर्णित तथ्यों में यदि किसी तरह का परिवर्तन किया जाएगा तो लाइसेंस संसोधन आवश्यक होगा, अन्यथा यह लाइसेंस अवैध हो जाएगा। लाइसेंस निम्नांकित शर्तो के साथ निर्गत किया जा रहा है। इस लाइसेंस की अवधी वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक प्रभावी रहेगा।

1. यह लाइसेंस केवल श्रम विभाग के प्रयोजनार्थ दिया जा रहा है।
2. कारखाना अधिनियम, 1948 सह पठित बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के धारा एंव नियम का अनुपालन करना होगा।
3. कारखाने के कारण आस – पास के वातावरण पर कुप्रभाव नही फैलना चाहिए।
4. कारखाने में समुचित अग्निशामन व्यवस्था होनी चाहिए।
5. यदि किसी अन्य विभाग एंव प्राधिकार से लाइसेंस एंव अनाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना उपेक्षित होगा तो यह प्राप्त करना दखलकार का कर्तव्य होगा।
6. प्रत्येक वर्ष दखलकार द्वारा ससमय वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कारखाने में स्थापित मोर्टस को कारखाने के कार्यशाला में कच्चा माल एंव उत्पादित प्रोडक्टस से अलग करने के लिए दिवार/अन्य किसी तरह का निमार्ण कार्य आवश्यक होगा।
8. मानचित्र में लगाए गए शर्तो का अनुपालन करना होगा।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 31.3.2016

कारखाना निरीक्षक,
मोतिंहारी अचंल मोतिहारी।